इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. : 8 मार्च, 2015

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सू[illegible]

केन्द्रीय बजट की वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली मुख्य बातें 2
मुख्य घटनाएं / बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------------------------------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं ---5
विनियामकों के कथन /बीमा ------ -- 9
अर्थव्यवस्था / --10
विदेशी मुद्रा --- 11
उत्पाद एवं गठजोड ------------ --- 12
बासेल -III - पूंजी विनियमन --13
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली --------------------- ------15
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---15
संस्थान समाचार--15
बाज़ार की खबरें--16

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

केन्द्रीय बजट की वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली मुख्य बातें

- वित्तीय समावेशन : 100 दिनों में 12.5 करोड़ परिवारों को वित्तीय क्षेत्र की मुख्य धारा में लाया गया।
- नये सुधार आसन्न : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए - माल और सेवा कर (GST), जन-धन, आधार और मोबाइल (जाम)।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के वर्षांत तक 5% पर रहने का अनुमान।
- मुद्रास्फीति को 6% से कम रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति ढांचा करार।
- 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के 8 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान।
- सब के लिए आवास - शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ मकान और ग्रामीण क्षेत्र में 4 करोड़ मकान।
- स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को विश्व का विनिर्माण केन्द्र (हब) बनाना।
- पूर्वी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र का शेष देश के समान विकास।
- कमतर मुद्रास्फीति और उसके फलस्वरूप मंद कर आधिक्य/उछाल के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमतर सांकेतिक वृद्धि के बावजूद राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% पर बनाए रखने की चुनौती 2014-15 में पूरी की गई।
- 20,000 करोड़ रुपये की मूल पूंजी और 3,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी वाली मूल पूंजी के साथ सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेन्सी (MUDRA) बैंक का सृजन किया जाएगा।
- सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेन्सी (MUDRA) बैंक उन सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के पुनर्वित्तीयन के लिए उत्तरदायी होगा जो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से व्यवसाय की ऐसी छोटी कम्पनियों को उधार देने में संलग्न हैं।
- एक व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (TReDS), जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की व्यापारिक प्राप्य राशियों के वित्तीयन को सुगम बनाने का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म होगा, की स्थापना की जाएगी।

- जनतां की औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने के लिए सभी गांवों तक फैले 1,54,000 उपस्थिति केन्द्रों वाले पोस्टल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा।
- सरफेयसी अधिनियम, 2002 के अनुसार'वित्तीय संस्थाओं'के रूप में अधिसूचना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत तथा 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर विचार किया जाएगा।
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति वर्ष केवल 12 रुपये के प्रीमियम के एवज़ में 21 लाख रुपये की दुर्घटनात्मक मृत्यु जोखिम सुरक्षा शामिल होगी।
- वायदा बाज़ार आयोग का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में विलय किया जाएगा।
- पूंजी प्रवाहों पर नियंत्रण की व्यवस्था करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम (FEMA) की धारा 6 को वित्त विधेयक के माध्यम से संशोधित किया जाएगा, क्योंकि इक्विटी का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से सरकार द्वारा किया जाएगा।
- सेक्टर-तटस्थ वित्तीय निवारण एजेन्सी जो सभी वित्तीय सेवा-प्रदाताओं के विरुद्ध परिवादों को निपटाएगी, की स्थापना करने के लिए एक कृतिक बल सृजित करने का प्रस्ताव है।
- इंडिया फाइनैंसियल कोड लागू किए जाने का ध्येय- जो छूटों के बिना दरों के सम्बन्ध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक है।
- सोना जमा करने वालों को उनके धातु खातों में ब्याज अर्जित करने तथा जौहरियों को उनके धातु खातों में ऋण प्राप्त करने की अनुमति देने हेतु स्वर्ण मौद्रीकरण योजना लागू की जाएगी।
- स्वर्ण धातु खरीदने के एक विकल्प के रूप में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना तैयार की जाएगी।

(अधिक जानकारी के लिए www.indiabudget.nic.in देखें)

मुख्य घटनाएं

2034 तक 90% भारतीयों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच होगी : पीडबल्यूसी

पावरवाटरहाउसकूपर्स (PwC) की "भारत का भविष्य : विजयी छलांग" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार समर्थकारी सोपान के लिए शाखा-रहित बैंकिंग समाधान अधिक स्मार्ट विकल्प हो सकते हैं। इस प्रकार के समाधानों को परिनियोजित करने के लिए बैंकों को अन्य क्षेत्रों की सुस्थापित संस्थाओं के साथ भागीदारियां करनी होंगी, पारंपरिक के स्थान पर सौर एटीएमों जैसे उभरते समाधानों को अपनाना होगा और गतिशीलता की लहर पर सवार होना पड़ेगा। 28 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश, जो पारंपरिक पद्धतियों पर खर्च होने वाली रकम से काफी कम है, के माध्यम से यह बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच रखने वाले और उसका उपयोग करने वाले भारतीय नागरिकों का प्रतिशत 2012-13 में 35% से बढा कर 2014 में 70% तथा 2034 में 90% तक कर सकता है। शाखा-रहित बैंकिंग चैनलों का

अंगीकरण और अन्य क्षेत्रों की संस्थाओं के साथ भागीदारी से बैंकों के मूलभूत सुविधा निवेशों में 30% की कमी आ सकती है।

जन-धन ओवरड्राफ्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का पात्र : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत दिए गए ऋण को बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन वर्गीकृत किए जाने की अनुमति दे दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खातों के तहत 5,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (अन्य श्रेणी) तथा कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकरण के पात्र होंगे। हालांकि, इस वर्गीकरण की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उधारकर्ता की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 रुपये और गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये से अधिक न हो।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बैंकों के लिए पूंजी भंडार के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतिम दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रति-चक्रीय पूंजी संरक्षण भंडार (CCCB) के सम्बन्ध में बैंकों को समर्थ बनाने हेतु अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। प्रति-चक्रीय पूंजी संरक्षण भंडार में बैंकों से अच्छे समय में एक ऐसा पूंजी भंडार निर्मित करने की अपेक्षा है जिसका उपयोग कठिन समय में स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण प्रवाह बनाए रखने हेतु किया जा सकता है। यह बैंकिंग क्षेत्र को अतिशय ऋण वृद्धि (जो प्रणाली-व्यापक जोखिमों का जमावड़ा निर्मित कर देती है) के दौरान भेदभावपूर्ण उधार देने से भी प्रतिबंधित करता है। प्रति-□क्रीय पूंजी संरक्षण भंडार सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET1) पूंजी अथवा केवल किसी अन्य पूर्णत: हानि अवशोषक पूंजी के रूप में बनाए रखा जा सकता है। प्रति-चक्रीय पूंजी संरक्षण भंडार की रकम बैंकों की कुल जोखिम-भारित आस्तियों (RWA) के 0 से 2.5% तक भिन्न-भिन्न हो सकती है। प्रति-चक्रीय पूंजी संरक्षण भंडार का निर्णय सामान्य रूप से 4 तिमाहियों की समय-सीमा के साथ पूर्व-घोषित हो सकता है। हालांकि, प्रति-चक्रीय पूंजी संरक्षण भंडार के संकेतकों के आधार पर बैंकों को आवश्यक भंडार अपेक्षाकृत छोटे समय संस्तर में निर्मित करने की सलाह दी जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक आस्ति वर्गीकरण के नियम सरल बनाएगा

अपने छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वर्तमान प्रवर्तकों / प्रबन्धन की अपर्याप्तताओं के कारण परियोजनाओं के रुक जाने की स्थिति में परियोजना को पुनरुज्जीवित करने हेतु स्वामित्व और प्रबन्धन में परिवर्तन आवश्यक हो सकता है। इस पुनरुज्जीवन में सहज संक्रमण को समर्थ बनाने के लिए ऐसी परियोजनाओं के नये प्रवर्तकों / विकासकर्ताओं को इस प्रकार की परियोजनाओं को प्रदत्त ऋणों से सम्बन्धित आस्ति वर्गीकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित

किए बिना वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तिथि (DCCO) के (कुछेक शर्तों के अध्ययीन) विस्तार की अनुमति दे कर लचीलापन प्रदान किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि इस सम्बन्ध में परिचालन सम्बन्धी दिशानिर्देश उनके द्वारा शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

बैंकों की नकदी जमा मशीनों के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब कुछेक शर्तों के अध्ययीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना शाखेतर नकदी जमा मशीनें (CDMs) और गुच्छ नोट स्वीकर्ता मशीनें (BNAMs) संस्थापित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, बैंकों के लिए उन स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, जहां ये मशीने संस्थापित की गई हों। इसके अतिरिक्त, नकदी जमा मशीनों / गुच्छ नोट स्वीकर्ता मशीनों को कोई जाली नोट ग्राहक को वापस नहीं करना करना चाहिए। बैंकों को जाली नोटों का पता लगाने और उनकी रिपोर्टिंग में समर्थ बनाने हेतु लेनदेनों का एक लेखा-परीक्षा ट्रेल भी प्रदान करना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोने के सिक्कों, पदकों के आयात पर रोक हटाई

सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए हैं : मामले का पुनरीक्षण किए जाने तक सोने के सिक्कों और पदकों का आयात अब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निषिद्ध नहीं होगा, सोने के सिक्कों और पदकों को बेचने के सम्बन्ध में बैंकों पर प्रतिबंध को हटाया नहीं जा रहा है। सोने के आयात के सम्बन्ध में 20 : 80 वाली योजना से सम्बन्धित नियम केवल 28 नवंबर, 2014 के पूर्व आयातित सभी अप्रयुक्त सोने के स्टॉक पर ही लागू होंगे। अब नामित बैंक परेषण के आधार पर सोने का आयात कर सकते हैं। हालांकि, घरेलू स्तर पर सोने की सभी बिक्रियां प्रारंभिक भुगतानों के समक्ष होंगी। बैंक स्वर्ण धातु वाले ऋण मंजूर करने हेतु स्वतंत्र हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में रि-रेपो की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और बाज़ार के अन्य सहभागियों को मीयादी पुनर्खरीद (Term repo) अथवा मुद्रा बाज़ार को विकसित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियां (G-secs) पुन: जारी करने की अनुमति दे दी है। प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) के तहत अभिगृहीत सरकारी प्रतिभूतियों (राज्यों के विकास ऋणों एवं खजाना बिलों सहित) पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य बही (SGL) खाता रखने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) और प्राथमिक व्यापारियों (PDs) को प्रति-पुनर्खरीद सुविधा के तहत अभिगृहीत प्रतिभूतियों को पुन: जारी करने की अनुमति होगी; (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य बही खाता रखने वाली

पारस्परिक निधियों और बीमा कम्पनियों को भी सम्बन्धित विनियामकों के अनुमोदन की शर्त पर ऐसी प्रतिभूतियां पुन: जारी करने की अनुमति होगी; (ग) प्रतिभूतियों को पुन: जारी करने का कार्य केवल पुष्टि प्राप्त होने / पुनर्खरीद लेनदेन के पहले लेग का मिलान होने के बाद ही आरंभ किया जाएगा; (घ) पुनर्खरीद लेनदेन आरंभ करने की पात्र संस्थाओं / कम्पनियों को इन लेनदेनों का "संकेत" प्राधिकृत रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर प्रति-पुनर्खरीद के रूप में देना चाहिए। सहभागी पुनर्खरीद लेनदेनों की रिपोर्टिंग के बारे में नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणालियों एवं नियंत्रणों का पुनरीक्षण कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहिर्वाहों से निपटने हेतु चलनिधि परिचालन संचालित किया

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि की स्थिति को सहज बनाने के लिए बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के माध्यम से दो दिनों के लिए निधियां प्रदान की हैं,क्योंकि कर के कारण बहिर्वाह बढ़ गए थे। सीमांत स्थायी सुविधा का संचालन 7 फरवरी को किया गया था और उसकी वापसी 9 फरवरी को हुई थी। सीमांत स्थायी सुविधा 7.75% की पुनर्खरीद (repo) दर से अधिक 8.75% पर निर्धारित की गई है। अतीत में बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्खरीद नीलामियां प्रत्येक शनिवार को संचालित करने के लिए कहा था, किन्तु शीर्ष बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा को केवल 7 फरवरी, 2015 को संचालित करने का निर्णय लिया। चलनिधि की स्थिति कठिन होने का पता निधियों के बहिर्वाह के कारण निकट अतीत में एक-दिवसीय दरों के बढ़ने से चलता था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कूपनों के सरकारी प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश की अनुमति दी

सरकारी प्रतिभूतियों में दीर्घावधि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कूपनों के सरकारी प्रतिभूतियों में उस समय भी पुनर्निवेश की अनुमति दे दी है, जब मौजूदा सीमाओं का पूर्णत: उपयोग कर लिया गया हो। आज के दिन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से सम्बन्धित सीमा का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा 30 बिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें से 5 बिलियन अमरीकी डालर दीर्घावधि निवेशकों के लिए आरक्षित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी बॉण्डों की पुनर्खरीद की अनुमति

कारपोरेट ऋण बाज़ार को विकसित करने के एक अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत में जारी 'एए' अथवा उससे अधिक के श्रेणी-निर्धारित बॉण्डों को कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में पुनर्खरीद की पात्र अन्तर्निहित के रूप में अनुमति दे दी है। यह व्यापारियों के बीच प्रतिरक्षण के एक अन्य लिखत का काम करेगा। कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में पुनर्खरीद एक दिन की न्यूनतम अवधि और एक वर्ष की

अधिकतम अवधि के लिए होंगी। किसी बैंक द्वारा इस मार्ग के माध्यम से उधार ली गई रकम को उसकी मांग एवं सावधि देयताओं का एक अंग माना जाएगा और उस पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात लागू होगा।

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश : अदावीकृत जमा खातों के नाम वेबसाइट पर दर्शाएं

जन हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अदावीकृत जमाराशियों / निष्क्रिय खातों के खाता धारकों का पता लगाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अदावीकृत जमाराशियों / निष्क्रिय खातों के सम्बन्ध में खाता धारकों के नाम और उनके पते उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करने तथा सूचना का सरलता से पता लगाने के लिए उन्हें 'तलाशें' वाला एक विकल्प देने के लिए कहा है। बैंकों से अदावीकृत जमां का दावा करने / निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना और उनका दावा करने हेतु आवश्यक फार्म एवं दस्तावेज़ वेबसाइट पर देने के लिए भी कहा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस कार्रवाई को 31 मार्च, 2015 तक पूरी कर लेने तथा उनकी वेबसाइटों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन करते रहने की सलाह दी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा -रुपया अदला-बदली से सम्बन्धित मानदंड सरल किए

पात्र निवासी दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा उधारों से पैदा होने वाले विनिमय दर और / अथवा ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर को प्रतिरक्षित करने करने के लिए अथवा दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा उधारों को विदेशी मुद्रा देयता में रूपांतरित करने के लिए विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया अदला-बदली संविदा कर सकते हैं। हालांकि, ये संविदाएं उनके तहत सूचीबद्ध परिचालनात्मक दिशानिर्देशों, शर्तों एवं निबन्धनों के अध्ययीन होंगी। विदेशी मुद्रा में उधार को अधिकाधिक लोच प्रदान करने के लिए ऐसे मामलों में जहां अन्तर्निहित अब भी अस्तित्व में हो, ग्राहक को अन्तर्निहित को प्रतिरक्षित करने के लिए अदला-बदली संविदा के निरस्तीकरण पर एक नयी विदेशी मुद्रा -भारतीय रुपया अदला-बदली संविदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, ऐसा केवल उस मूल अदला-बदली संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है, जो निरस्त कर दी गई थी। विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया अदला-बदलियों को अभिशासित करने वाले / वाली दिशानिर्देश, शर्तें एवं निबन्धन अपरिवर्तित हैं।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मुद्रा भुगतान को सरल और तेज कर रहा है

प्राप्तकर्ता के बैंक की सूचना में प्रवेश किए बिना एकल अंतरापृष्ठ (interface) के माध्यम से त्वरित भुगतान शीघ्र ही संभव हो जाएंगे। भारत में खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए मुख्य संगठन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने सभी प्रणालियों में एक सरलीकृत, एकल एवं एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ को कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री ए. पी. होता ने कहा है कि "नये अंतरापृष्ठ को किसी बैंक खाते की

की सूचना में प्रवेश किए बिना खाता धारकों को एकल परिचायक - आधार संख्या, मोबाइल संख्या, आभासी भुगतान के पते वाले एकल परिचायक के साथ उनके स्मार्ट फोनों से धनराशि भेजने और प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु तैयार किया गया है।"

प्रति-पुनर्खरीद और सीमांत स्थायी सुविधा शनिवारों भी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी शनिवारों को निधि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं तथा वह 21 फरवरी, 2015 से शनिवारों को अपरान्ह 2.00 से अपरान्ह 3.00 के बीच प्रति-पुनर्खरीद और सीमांत स्थायी सुविधा का संचालन करेगा। ये उपाय साधारणतया अनुगामी सोमवार को वापसी के साथ दो दिनों की अवधि के लिए होंगे।सोमवार को तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के लिए छुट्टी का दिन होने पर यह वापसी तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के अगले कार्य दिवस को की जाएगी।

आस्ति पुनर्निर्माण फर्मों से सम्बन्धित नियम सरल किए गए

प्रतिभूतिकरण कम्पनियों / पुनर्निर्माण कम्पनियों की कार्यप्रणाली में सहजता लाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि अब से प्रतिभूतिकरण कम्पनियों / पुनर्निर्माण कम्पनियों की शेयर धारिता के स्वरूप में केवल निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए ही भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी :

i. शेयरों के किसी ऐसे अंतरण जिसके द्वारा अंतरिती एक प्रायोजक बन जाता है।

ii. शेयरों के किसी ऐसे अंतरण जिसके द्वारा अंतरणकर्ता एक प्रायोजक नहीं रह जाता है।

iii. किसी प्रायोजक द्वारा पंजीकरण के प्रमाणपत्र की तिथि से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि के दौरान प्रतिभूतिकरण कम्पनी / पुनर्निर्माण कम्पनी की कुल चुकता शेयर पूंजी के 10% अथवा उससे अधिक के समग्र अंतरण।

सरकारी प्रतिभूतियों का स्विच परिचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लगभग 8,800 करोड़ रुपये अंकित मूल्य वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ स्विच परिचालन किया। 2015-16 और 2016-17 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों को निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (Derivatives) संघ (FIMMDA) में बाज़ार मूल्य पर 2026-27 और 2030-31 में परिपक्व होने वाली अपेक्षाकृत लम्बी अवधि वाली प्रतिभूतियों में बदला गया। यह बदलाव सरकार के सॉवरेन कर्ज देयता प्रबन्धन परिचालन का एक अंग है। बजट 2014-15 में वापसी खरीद / बदलावों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

विनियामकों के कथन

उधारदायी प्रक्रिया की अधिक छानबीन की जाएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर खान ने विचार व्यक्त किया है कि "कुछेक कम्पनियों को संसाधन जुटाने में संसाधनों की अनुपलब्धता अथवा ऋणपात्र /विश्वसनीय कारोबारी अवसरों के अभाव के कारण नहीं, अपितु देनदार प्रतिबद्धताओं का किस प्रकार पालन करते हैं तथा उसके साथ ही ऋण वितरण में कार्य-कुशलता की आवश्यकता के सम्बन्ध में उभरते सोच के कारण शीघ्र ही कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें शीघ्र ही शेयर धारकों के अलावा पड़ सकता है।"

बाह्य क्षेत्र के संकेतकों में सुधार आया है

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार भारत के आयात की सुरक्षित निधि 14 सितम्बर के दिन सितम्बर, 2013 के 6.6 माह से बढ़ कर 14 सितम्बर, 2014 के दिन 8.8 माह हो गई और विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों की तुलना में चालू खाते के घाटे का अनुपात 2012 में 30.1 से बढ़ कर 2013-14 में 10.6 हो गया। 1991 से विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का स्तर 5.8 बिलियन अमरीकी डालर से स्थिर रूप से बढ़ कर लगभग 333 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। चालू खाते का कमतर घाटा, विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में उछाल तथा विनिमय दर की स्थिरता अधिक लचीले बाह्य क्षेत्र के संकेत हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान ने पुणे में एक व्याख्यान में कहा कि हालांकि, बाह्य क्षेत्र के संकेतकों में सुधार किसी प्रकार के नीतिगत आत्मतोष को आवश्यक नहीं बनाते। श्री खान ने कहा कि इसके पूर्व वर्णित सात चैनलों के माध्यम से नवीकृत बाह्य दबावों से निर्मित प्रभाव-विस्तार पुन: सिर उठा सकते हैं और इस प्रकार भारत के बाह्य क्षेत्र के समक्ष चुनौती खड़ी कर सकते हैं। श्री खान ने यह भी कहा कि प्रारक्षित निधि रखने में लागत निहित होती है। इस लागत का एक अर्ध-राजकोषीय निहितार्थ होता है क्योंकि अवरुद्धता की लागत या तो सरकार द्वारा या फिर स्वयं केन्द्रीय बैंक द्वारा ही वहन की जाती है।

बीमा

बीमा क्षेत्र के लिए 40 विनियम

दिसम्बर में सरकार के बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश के प्रख्यापन का कार्य आरंभ किए जाने के बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमा उद्योग के लिए 40 विनियमों पर कार्य कर रहा है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन ने कहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) पुनर्बीमा जैसे महत्वपूर्ण विनियमों पर तत्कालिक आधार पर कार्य कर रहा है, जबकि व्यय प्रबन्धन दिशानिर्देशों जैसे अन्य मुद्दों पर क्रमिक रूप से कार्य किया जाएगा। इनमें से कुछेक नये विनियम हैं, जबकि अन्य मौजूदा विनियमों में संशोधन हैं।

बीमाकर्ता इर्डाई के लाइसेंस के बिना एजेन्ट रख सकते हैं

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कहा है कि बीमा कम्पनियां 1 अप्रैल, 2015 से विनियामक से लाइसेंस के बिना अपने आप वैयक्तिक एजेन्ट नियुक्त कर सकती हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अध्यक्ष श्री टी. एस. विजयन ने कहा है कि विनियामक अब तक सामान्य बीमा क्षेत्र का अंग माने जाने वाले स्वास्थ्य बीमा को एकल आधार वाली संस्था / कम्पनी बनाना चाहता है। श्री वि□यन ने कहा है कि अब तक एजेन्टों की नियुक्ति एक लाइसेंसीकरण व्यवस्था के माध्यम से की जाती रही है। अब पूरी लाइसेंसीकरण प्रणाली समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य बीमा के सम्बन्ध में श्री विजयन ने कहा कि भारतीय बीमा उद्योग व्यवसाय के दो मुख्य क्षेत्रों - जीवन एवं सामान्य पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) व्यवसाय के तीसरे क्षेत्र की शुरुआत करने जा रहा है, जो स्वास्थ्य बीमा है। स्वास्थ्य बीमा के लिए विनियमों का एक सेट अजग से तैयार किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 15 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है : सिटी

वैश्विक दलाली फर्म सिटीग्रुप के अनुसार राजकोषीय प्रवृत्तियों के कमजोर होने के बावजूद सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष हेतु राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.1 % पर लाने का लक्ष्य प्राप्त कर कर लिए जाने की संभावना है। नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक (CAG) द्वारा □री आंकड़ों के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा दिसम्बर के अंत में बजट अनुमानों से 5.31 लाख के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% तक रखने के लक्ष्य में सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखलाओं के लागू किए जाने पर उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ़कर 5.1% हुई

भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके पूर्व अनुमानित की तुलना में बेहतर गति से वृद्धि करती हुई दर्शाने वाली सकल घरेलू उत्पाद की संख्याओं के पुनरीक्षण के बाद एक पुन: परिकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से यह पता चला है कि जनवरी में मुद्रास्फीति की गति बढ़ गई। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं के तहत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दिसम्बर, 2014 में 4.28% की तुलना में जनवरी, 2015 में बढ़कर 5.1% हो गई। भारत में मूल्य की स्थिति का बेहतर चित्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भारत सरकार खुदरा मुद्रास्फीति की दरों का परिकलन करने हेतु 2012 को आधार वर्ष मानते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की एक नयी

श्रृंखला जारी करेगी। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने राष्ट्रीय लेखों का परिकलन करने के लिए आधार दर और उस कार्यप्रणाली को हाल ही में संशोधित किया है, जो अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करती है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां हमेशा से अधिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 30 जनवरी, 2015 को समाप्त सप्ताह में 5.8 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जिससे वे 327.88 बिलियन अमरीकी डालर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। उदारीकरण के बाद से प्रारक्षित निधियों में एक सप्ताह में होने वाली यह सबसे बड़ी वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डालरों के स्थानीय बॉण्ड बाज़ार में प्रवेश को आक्रामक रूप से विरत रखने की शुरुआत करने के बाद पिछले एक वर्ष में प्रारक्षित निधियों में स्थिर रूप से वृद्धि होती रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल - दिसम्बर, 2014 के दौरान हाजिर और वायदा बाज़ारों से कुल 75 बिलियन अमरीकी डालर खरीदा है।

मार्च, 2015 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.51000	0.91200	1.25900	1.51300	1.69800
जीबीपी	0.67550	1.0133.	1.2371	1.4155	1.5462
यूरो	0.09810	0.100	0.138	0.207	0.283
जापानी येन	0.15380	0.154	0.160	0.193	0.233
कनाडाई डालर	0.95000	0.903	0.973	1.065	1.179
आस्ट्रेलियाई डालर	2.11000	2.105	2.148	2.328	2.430
स्विस फ्रैंक	-0.44250	-0.705	-0.595	-0.450	-0.305
डैनिश क्रोन	0.02610	0.1054	0.2000	0.2870	0.4125
न्यूजीलैंड डालर	3.58000	3.570	3.655	3.680	3.705
स्वीडिश क्रोन	0.06000	0.135	0.263	0.408	0.560

सिंगापुर डालर	1.03000	1.350	1.600	1.820	1.970
हांगकांग डालर	0.59000	0.940	1.240	1.460	1.630
म्यामार	3.72000	3.730	3.760	3.840	3.890

स्रोत : www.fedai.org.in.

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**20 फरवरी, 2015 के दिन**	**20 फरवरी, 2015` के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	20, 796.9	334,,193.1
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	19, 194.8	308,297.8
ख) सोना	1, 246, 5	20, 183. 2
ग) विशेष आहरण अधिकार	253,8	4, 077.2
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	101.8	1, 634 .9

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	टाटा मोटर्स	टाटा मोटर्स द्वारा विनिर्मित वाणिज्यिक वाहनों का वित्तीयन करना।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	ओरिगो कमोडिटीज़	महाराष्ट्र में किसानों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को बेहतर कीमतें वसूल करने और बाज़ार की सहलग्नताओं में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान करना।
रत्नाकर बैंक लिमिटेड (आरबीएल)	आईबीएम	ग्राहकों को उनके खातों का प्रबन्धन करने, बिलों का भुगतान करने , निधियां अंतरित करने आदि के लिए मोबाइल ऐप प्रदान करना।
आईसीआईसीआई बैंक	संयुक्त अरब अमीरात शेयर बाज़ार	खाड़ी राष्ट्रों में रहने वाले भारतीयों को "फ्लैशरेमिट" नामक त्वरित बैंक अंतरण सेवा प्रदान करना।
येस बैंक लिमिटेड	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	देश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करना।

बासेल-III पूंजी विनियमन (जारी)

बासेल-III पूंजी विनियमन पर चर्चा को जारी रखते हुए निम्नलिखित का वर्णन किया जा रहा है :

पूंजी संरक्षण भण्डार का ढांचा

उद्देश्य

पूंजी संरक्षण भण्डार (CCB) यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि बैंक सामान्य समयों (अर्थात् दबाव की अवधियों के बाहर) पूंजी भण्डार निर्मित करें। पूंजी संरक्षण भण्डार का उपयोग किसी दबाव की अवधि के दौरान वहन की जाने वाली हानियों के समक्ष किया जा सकता है। यह आवश्यकता न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के उल्लंघन को रोकने के लिए तैयार किए गए सामान्य पूंजी संरक्षण नियमों पर आधारित है। दबाव की अवधि के बाहर बैंकों को विनियामक न्यूनतम से अधिक पूंजी के भण्डार रखने चाहिए। इन भण्डारों के समाप्त हो जाने पर उन्हें पुनर्निर्मित करने के लिए बैंक जिस एक मार्ग कों अपना सकते हैं वह है अर्जनों के विवेकपूर्ण वितरणों को घटाना। इसमें लाभांश के भुगतानों, शेयर की वापसी खरीद और स्टाफ बोनस भुगतानों का समावेश हो सकता है। बैंक आंतरिक रूप से सृजित पूंजी को संरक्षित करने के एक विकल्प के रूप में बाज़ार से नयी पूंजी जुटाने का मार्ग भी चुन सकते हैं।

पूंजी संरक्षण भण्डार का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी बैंक के समक्ष प्रणालीगत दबाव उपस्थित हो। बैंक को सामान्य समयों में महज अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने तथा बाज़ार अंश हथियाने के लिए भण्डार के प्रभाव क्षेत्र में परिचालन करने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। इस पहलू पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (SREP) के दौरान विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन बैंकों, जो दबाव वाली अवधि के दौरान अपने पूंजी संरक्षण भण्डार में आहरण द्वारा कमी लाते हैं, के पास उनकी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) के एक अंग के रूप में उक्त भण्डार की पुन: पूर्ति (replenish) करने हेतु एक निश्चित योजना भी होनी चाहिए तथा उन्हें पर्यवेक्षी पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (SREP) के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सहमत समय सीमा के भीतर वांछित स्तर पर वापस लाने का प्रयास करना चाहिए।

पूंजी संरक्षण भण्डार का ढांचा बैंकों को निम्नलिखित करने में समर्थ बनाएगा:

क) प्रतिकूल अर्थिक वातावरण वाली स्थितियों का मुकाबला करने के लिए बैंकों के सामर्थ्य को सुदृढ़ करना।

ख) गिरावट के दौर से गुजर रहे बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाने और

ग) आर्थिक पुनरुत्थान के प्रारंभिक चरणों के दौरान पूंजी को पुनर्निर्मित करने का साधन उपलब्ध कराने, दोनों ही कार्यों में सहायता करना।

गिरावट के दौरान अर्जनो को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रतिधारित क्रके बैंक यह सुनिश्चित करने की दिशा में सहायता करने में समर्थ होंगे कि दबाव वाली अवधि के दौरान चालू कारोबारी परिचालनों/ उधारदायी कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी उपलब्ध रहे। अतएव, इस ढांचे से

प्रचक्रीयता (pro-cyclicity) घटाने में सहायता प्राप्त होने की आशा है।

[illegible]

बैंकों के लिए 9% की न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता के अतिरिक्त जोखिम-भारित आस्तियों के 2.5% का पूंजी संरक्षण भण्डार सामान्य इक्विटी टियर 1 के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। पूंजी संरक्षण भण्डार को 0.625% प्रति वर्ष की एकसमान रीति से 31 मार्च, 2015 से प्रारंभ होने वाली वर्ष की अवधि में उसी क्रमावस्था में रखा जाना है। बैंकों का पूंजी का स्तर घट कर इस श्रेणी के भीतर रह जाने पर बैंकों को पूंजी का वितरण (अर्थात् लाभांशों या बोनसों का किसी भी रूप में भुगतान) नहीं करना चाहिए। लागू की गई बाधाएं केवल वितरणों से सम्बन्धित हैं तथा वे बैंकों के परिचालनों से सम्बन्धित नहीं हैं। बैंकों पर वितरण सम्बन्धी ये बाधाएं तभी लागू की जाती हैं जब उनके पूंजी स्तर घट कर इस श्रेणी में पहुंच जाते हैं, बैंकों के पूंजी स्तर न्यूनतम आवश्यकताओं तक पहुंच जाने पर वे ब[illegible]ते हैं। सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपातों के विविध स्तरों पर किसी बैंक को आवश्यक रूप से जिन न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपातों को पूरा करना होता है, वह नीचे दर्शाया गया है :

अलग-अलग बैंक के लिए पूंजी संरक्षण का न्यूनतम मानक	
प्रतिधारित अर्जनों की वर्तमान अवधियों को शामिल करने के बाद सामान्य इक्विटी टियर 1 का अनुपात	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (अर्जनों के % के रूप में)
5.5% - 6.125%	100%
< 6.125% - 6.75%	80%
< 6.75%- 7.375%	60%
< 7.375% - 8.0%	40%
> 8%	0%

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 6.125% से 6.75% की श्रेणी में सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात रखने वाले किसी बैंक के लिए उत्तरवर्ती वित्त वर्ष में उसके अर्जनों के 80% को संरक्षित करने की आवश्यकता होगी, (अर्थात् लाभांशों, शेयरों की वापसी खरीद और विवेकाधीन बोनस भुगतान के रूप में 20% से अनधिक के भुगतानों की अनुमति होगी)। बासेल III के न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक लागू होने वाली न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी और प्रयोज्य पूंजी संरक्षण भण्डार के संदर्भ में लागू होंगे।

पूंजी संरक्षण भण्डार एकल स्तर (वैश्विक स्थिति) और उसके साथ-साथ समेकित स्तर ,दोनों पर लागू होंगे अर्थात् एकल बैंक और समेकित समूह दोनों ही स्तरों पर वितरणों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

(स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

डिजिटल प्रमाणपत्र और ई-टोकन

डिजिटल प्रमाणपत्र प्राथमिक सदस्यों द्वारा जिल्ट खाता धारकों (GAH) की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिहित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इन प्रमाणपत्रों को अनुमोदित विनिर्देशनों के अनुसार एक ई-टोकन में संस्थापित कराए जाने की आवश्यकता होती है।. डिजिटल प्रमणपत्र और टोकन विनिर्देशनों का एसएचए 2 (2048 बिट) अनुपालक होना आवश्यक है।. डिजिटल प्रमाणपत्र और ई-टोकन के बिना जीएएच तयशुदा लेनदेन प्रणाली आदेश मिलान (NDS-OM) के वेब-आधारित मॉड्यूल में लॉग इन नहीं कर सकता। इस प्रकार के जीएएच प्रयोक्ताओं के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र का नवीकरण प्राप्त करने और उसके लागू होने की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) को देने हतु प्राथमिक सदस्य उत्तरदायी होगा।

शब्दावली

जोखिम-भारित आस्ति (RWA)

जोखिम-भारित आस्ति बैंक की जोखिम के अनुसार भारित आस्ति या तुलनपत्र-बाह्य एल्सपोजर होती है। आस्ति की इस प्रकार की गणना का उपयोग किसी संस्था के लिए पूंजी आवश्यकता अथवा पूंजी पर्याप्तता (CAR) का निर्धारण करने में किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बैंकों के प्रशिक्षको के लिए 4थे अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 23 से 28 फरवरी, 2015 6 दिन) तक लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, मुंबई में किया गया। उक्त कार्यक्रम में 33 सहभागी उपस्थित रहे।

संस्थान समाचार

वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने चार्टर्ड इंस्टिट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एण्ड इन्वेस्टमेंट (CISI) के सहयोग से वित्तीय सेवाओं में जोखिम में एक नयी प्रमाणपत्र परीक्षा की शुरुआत की है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।)

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्दिष्ट तिथि

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा।

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

मई / जून 2015 परीक्षाओं से अद्यतन पाठ्यक्रम की शुरुआत

जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस (DB&F) में डिप्लोमा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को उन परिवर्तनों के कारण अद्यतन कर दिया गया है जो बैंकिंग एवं फाइनैंस के क्षेत्र में हुए हैं। जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस में डिप्लोमा परीक्षाओं के लिए उक्त पाठ्यक्रम मई / जून और उसके बाद वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। अद्यतन पाठ्य-समग्री (अध्ययन सामग्री) जनवरी, 2015 के अंत तक बाज़ार में उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जेएआईआईबी और ड़ीबीएण्डएफ के अद्यतन पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों की उपलब्धता

जेएआईआईबी और ड़ीबीएण्डएफ की अद्यतन पाठ्य-सामग्री अब मैकमिलन पब्लिशर्स (अंग्रेजी) और टैक्समैन पब्लिशर्स (हिन्दीं) के बिक्री केन्द्रों में उपलब्ध है।

मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए आचरण संहिता

संस्थान ने हाल ही में आरंभ किए गए मिश्रित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आचरण संहिता जारी करना आरंभ कर दिया है और उन्हें उसका पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया □ता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 1998 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्येक माह की 25 से 30 तक

विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियों का प्रेषण

संस्थान उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करता है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास 30 जून, 2015 से पहले पंजीकृत करवा लें। जुलाई, 2015 से संस्थान विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियां उन सदस्यों को भेजना बंद कर देगा, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी नहीं पंजीकृत करवाए हैं। केवल सॉफ्ट प्रतियां ही ई-मेल के जरिये भेजी जाएंगी। वर्तमान में आईआईबीएफ विज़न डाक्यूमेंट मुफ्त डाउनलोड करने / देखने हेतु संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00

02/02/15 3/02/15 04/02/15 07/02/15 10/02/15 11/02/15 14/02/15 16/02/15
21/02/15 23/02/15 25/02/15 26/02/15 27/02/15

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, फरवरी, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00

02/02/15 03/02/15 05/02/15 09/02/15 11/02/15 12/02/15 20/02/14 23/02/15
24/02/15 25/02/15 26/02/15 27/02/15

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

29600
29400
29200
29000
28800
28600
28400
28200
28000

02/02/15 04/02/15 06/02/15 09/02/15 12/02/15 18/02/15 19/02/15 20/02/15 23/02/15 25/02/15 26/02/15 28/02/15

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न मार्च, 2015